रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2368] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2014/कार्तिक 30, 1936
No. 2368] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2014/KARTIKA 30, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संशोधन

नई दिल्ली,10 नवम्बर, 2014

का.आ.2948(अ).–केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम,1962(1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ.1039(अ) दिनांक 18 मार्च, 2014, भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 5 अप्रैल,2014 में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 1 में पंक्ति 6 में ''शेगात'' के स्थान पर ''भोगात'' पढ़ा जाये।

[फा. सं. ओ-12016/3/2007-ओ.एन.जी.-III]

के. एम. सिंह,अवर सचिव

संशोधन

नई दिल्ली,10 नवम्बर,2014

का.आ.2949(अ).–केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम,1962(1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1040(अ) दिनांक 18 मार्च, 2014, भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 5 अप्रैल, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना और अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है।

अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 1 में पंक्ति 6 में ''शेगात'' के स्थान पर ''भोगात'' पढ़ा जाये।

अनुसूची के पृष्ठ संख्या 4 में गाँव का नाम स्तंभ 2 में गाँव का नाम ''शेगात'' के स्थान पर ''भोगात'' पढ़ा जाये।

[फा. सं. ओ-12016/3/2007-ओ.एन.जी.-III]

के. एम. सिंह, अवर सचिव

4598 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.